

प्रेषक,

अनिल कुमार बाजपेयी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

3. समस्त नगर आयुक्त,

नगर निगम,
उत्तर प्रदेश।

2. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,

जिला नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

विषय: दीन दयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डे-एन0यू0एल0एम0) के घटक शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता (एस0यू0एस0वी0) के अन्तर्गत शहरी पथ विक्रेताओं हेतु विस्तृत क्रियान्वयन प्लान-डी0आई0पी0 (अवसंरचना सुधार) के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक, एस0यू0एल0एम0, 30प्र0 के पत्र संख्या-879/241/एन0यू0एल0एम0/ तीन/2001(एसयूएसवी-डीआईपी) दिनांक 09.01.2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. दीन दयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता (एस0यू0एस0वी0) के अन्तर्गत शहरी पथ विक्रेताओं हेतु विस्तृत क्रियान्वयन प्लान-डी0आई0पी0 (अवसंरचना सुधार) हेतु शहर मिशन प्रबन्ध इकाई-जिला नगरीय विकास अभिकरण द्वारा सम्बन्धित नगर निकाय को जारी की जाने वाली धनराशि राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति के अनुमोदन होने एवं कार्यवृत्त जारी होने के पश्चात् प्रथम किश्त 40 प्रतिशत, प्रथम किश्त के सापेक्ष 70 प्रतिशत धनराशि उपयोग का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने पर द्वितीय किश्त 40 प्रतिशत तथा प्रथम किश्त के सापेक्ष पूर्ण उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं द्वितीय किश्त के सापेक्ष 70 प्रतिशत धनराशि उपयोग का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने एवं नियमानुसार प्रगति होने पर तृतीय किश्त 20 प्रतिशत जारी की जायेगी।

3. शहरी पथ विक्रेताओं हेतु विस्तृत क्रियान्वयन प्लान (अवसंरचना सुधार) कार्य हेतु सम्बन्धित नगर निकाय को कार्यदायी संस्था नामित किया जायेगा। नगर निगमों में एक नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा तथा अन्य निकायों में अधिशासी अधिकारी स्वयं नोडल अधिकारी होंगे।

4. अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनिल कुमार बाजपेयी)

विशेष सचिव।

क्रमशः.....2

AD/PONULM

1458/AD/S

PO- NULM

क. अनुपमा /

05/4/18

04/4/18

3/18/4/18
05/04/18
02.15PM

7968/cls
05/04/18

